मुण्डावर (खैरथल-तिज[redacted])

06/12/2024 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
वादी उपस्थित हैं। वाद वादी डिक्री
किया जाता है। विस्तृत निर्णय
मुताबिक से लिखवाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। बाद तकमील
जिला रिकार्ड भण्डार में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिज[redacted])

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव

(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
114/23	02.06.2023	06.12.2024

3. वीरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उम्र करीब 62 साल
4. देशराज पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उम्र करीब 57 साल जातियान अहीर निवासीयान चांदपुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी वार्ड नं0 15 जसोरिया कॉलोनी खैरथल तहसील किशनगढ बास जिला अलवर राजस्थान ।

--------वादीगण

// बनाम //

8. बलबीर पुत्र श्री बुधा उम्र करीब 78 साल
9. मु० किस्तूरी बेवा रघुवीर उम्र करीब 83 साल
10. दिनेश पुत्र श्री रघुवीर उम्र करीब 55 साल
11. संज्या बेवा फूलसिंह
12. रजनीश पुत्र श्री फूलसिंह जातियान अहीर निवासीयान चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
13. लैण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
14. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

-----प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज बम्य हु० ई० दवामी अर्न्तगत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

-: पर्चा डिकी : -

अतः वादीगण का यह वाद डिकी कर आदेश दिया जाता है कि आराजी ख० नं0 1579/1.02 हैव0, 1580/0.08 हैव0, 1543/2.01 हैक0, 1544/1.16 हैक, जिसके हाल ख० नं० क्रमशः 1788/0.28 हैव0, 1789/0.05 हैक0, 1750/0.52 हैक0, 1751/0.45 हैक०, वाके ग्राम चादंपुर तहसील मुण्डावर में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3/8 भाग के बजाय 1/4 भाग व उक्त शेष भाग 1/8 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी में दरज हिस्से में वादीगण के हिस्से में शामिल किया जावे व जमाबन्दी में दरज वादीगण के पिता के स्थान पर वह हिस्सा भी वादीगण के नाम दरज किया जावे। इसी कदर हाल भू अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 06.12.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(मनीष कुमार जाटव)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव

(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	**रजू दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
114 / 23	**02.06.2023**	**06.12.2024**

1. वीरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उम्र करीब 62 साल
2. देशराज पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उम्र करीब 57 साल जातियान अहीर निवासीयान चांदपुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी वार्ड नं0 15 जसोरिया कॉलोनी खैरथल तहसील किशनगढ बास जिला अलवर राजस्थान ।

--------वादीगण

// बनाम //

1. बलबीर पुत्र श्री बुधा उम्र करीब 78 साल
2. मु० किस्तूरी बेवा रघुवीर उम्र करीब 83 साल
3. दिनेश पुत्र श्री रघुवीर उम्र करीब 55 साल
4. संज्या बेवा फूलसिंह
5. रजनीश पुत्र श्री फूलसिंह जातियान अहीर निवासीयान चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
6. लैण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

-----प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज बम्य हु० ई० दवामी अर्न्तगत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

सूक्ष्म वृतान्त प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी ख० नं0 1579 / 10 1580 / 0.08 हैक्०, 1543 / 2.01 हैक्0, 1544 / 1.16 हैक्0, जिसके हौल ख० नं० कमशः 1788 / 0.28 हैक्0, 1789 / 0.05 हैक्0, 1750 / 0.52 हैक्0, 1751 / 0.45 हैक्०, वाके ग्राम चादंपुर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है का 1/2 भाग उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी ख० नं0 1579/1.02 हैक, 3153/1/2 भाग हम वादीगण के पिता श्री लक्ष्मीनारायण ने दिनाक 01/06/89 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था जिसका इंतकाल सं० 480 भी हम वादीगण के पिता के नाम दरज व स्वीकार हो चुका है। उक्त विवादित आराजी बाबत एक वाद जगमाल बनाम बलबीर मुकदमा नं0 51/2003 न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय मुण्डावर के यहां दिनांक 27/01/2004 को निर्णय हुआ था जिस फैसले में प्रतिवादीगण जो इस वाद में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी है का हिस्सा निर्णय व डिकी में नहीं खोला गया था इस कारण वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण का समान भाग डिकी की पालना मे दरज कर दिया जबकि विवादित आराजी में वादीगण के पिता का 1/4 भाग एवं प्रतिवादीगण का 1/4 भाग दरज करना चाहिये था, इस कारण डिकी दिनांक 27/01/2004 बअनुवान जगमाल बनाम बलबीर हम वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण के हिस्से में विवादित आराजी में 1/4 भाग दरज होने से उनका हिस्सा पूर्ण हो जाता है तथा हम वादीगण का भी 1/4 भाग दरज होने से पूर्ण हो जाता है इसलिये डिकी दिनांक 27/01/2004 व उसके आधार पर दरज इंतकाल सं० 1047 ग्राम चांदपुर हम वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जाकर विवादित आराजी मुन्दर्जे जिम्मन नं0 1 में हम वादीगण को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरज कराने के अधिकारी है तथा विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का 3/8 के बजाय 1/4 भाग दरज होना चाहिये। डिकी दिनांक 27/01/2004 के पश्चात प्रतिवादी सं० 4 ने गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुये जरिये रिलीजडीड अपने हिस्से की रिलीजडीड प्रतिवादी सं० 5 को करा दी जिसका इंतकाल सं० 1068 दरज व मंजूर हुआ इसके पश्चात प्रतिवादी सं० 5 रजनीश ने अपने हिस्से की रिलीज प्रतिवादी सं० 1 बलबीर को कर दी जो जरिये इंतकाल सं० 1070 बलबीर के नाम मंजूर हो गया इसी तरह प्रतिवादी सं० 2 किश्तूरी ने अपना हिस्सा अपने पुत्र दिनेश प्रतिवादी सं० 3 के नाम रिलीज कर दी जिसका इंतकाल सं० 1069 दिनेश के नाम मंजूर हो गया। प्रतिवादी सं० 3 ने समस्त हिस्से की रिलीज प्रतिवादी सं० 1 बलबीर को कर दी जिसका इंतकाल सं० 1070 बलबीर के नाम दरज व मंजूर हो गया चूंकि उक्त हिस्से में 1/8 भाग वादीगण का था जो डिकी में नहीं खोला गया इसलिये प्रतिवादी सं० 2, 3, 4, व 5 द्वारा किये गये रिलीजडीड एवं उनके आधार पर दरज इंतकाल सं० 1068, 1069 व 1070 हम वादीगण के हिस्से तक बातिल एवं बेअसर है करार दिये उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के बुजुर्ग बुधा 1/4 भाग व प्रभू जो बुधा का भाई था का 1/4 भाग दरज रिकोर्ड था प्रभू के वारिस भमला उर्फ चन्द्रकलां से हम वादीगण के पिता ने खरीद किया था इस तरह

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दिनांक 27.01.2004 मुकदमा नम्बर 51/3 जगमाल बनाम बलबीर प्रदर्श 09 नकल पर्चा डिकी प्रदर्श 10 , नकल वाद पत्र प्रदर्श 11 पेश किये गयें। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में गवाह वीरसिंह , सुबेसिंह के शपथ पत्र पेश किये है।

हमने वादीगण के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। इस न्यायालय के पूर्व वाद एसडीओ मुण्डावर दिनांक 27.01.2004 मुकदमा नम्बर 51/3 जगमाल बनाम बलबीर प्रदर्श 09 में निर्णय लिखते समय पक्षकारान के हिस्से के अनुसार हाल रिकार्ड संशोधित नही हुआ है जिससे पिडित वादीगण ने यह वाद पत्र पेश किया है प्रतिवादीगण बाद सुचना उपस्थित नही हुये है जिससे उनकी वादगत आराजी मे कोई रुची नही होना प्रतीत होता है जिस सूरत में वाद पत्र काबिल डिकी पाया जाता है।

// आदेश //

अतः वादीगण का यह वाद डिकी कर आदेश दिया जाता है कि आराजी ख० नं0 1579/1.02 हैव0, 1580/0.08 हैव0, 1543/2.01 हैक0, 1544/1.16 हैक, जिसके हाल ख० नं० क्रमशः 1788/0.28 हैव0, 1789/0.05 हैक0, 1750/0.52 हैक0, 1751/0.45 हैक०, वाके ग्राम चादंपुर तहसील मुण्डावर में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3/8 भाग के बजाय 1/4 भाग व उक्त शेष भाग 1/8 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी में दरज हिस्से में वादीगण के हिस्से में शामिल किया जावे व जमाबन्दी में दरज वादीगण के पिता के स्थान पर वह हिस्सा भी वादीगण के नाम दरज किया जावे। इसी कदर हाल भू अभिलेख को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 06.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)